[2018] 6 एस.सी.आर. 701

संघ लोक सेवा आयोग

बनाम

एम. साथिया प्रिया एवं अन्य

दीवानी अपील संख्या 10854 सन् 2014)

13 अप्रैल, 2018

[मोहन एम. शांतानागौदर तथा नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति गण]

सेवा विधि—पदोन्नति द्वारा नियुक्ति—उत्तरदाता को राज्य में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया—आई.पी.एस. में नियुक्ति हेतु जिन अधिकारियों के नाम विचारार्थ थे, उनमें उत्तरदाता का नाम भी सम्मिलित था—सेवा अभिलेखों के मौखिक मूल्यांकन के आधार पर चयन समिति ने वर्ष 2008 की चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित नहीं किया—असंतुष्ट होकर उत्तरदाता ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी.ए.टी.) के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसे स्वीकृत किया गया—सी.ए.टी. के निर्णय की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई—अपीलकर्ता संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) ने यह तर्क किया कि सी.ए.टी. एवं उच्च न्यायालय दोनों ने 01.04.2003 से 31.03.2008 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को विचार में लेकर त्रुटि की—अपील पर, निर्णय : आई.पी.एस. विनियम तथा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों का चयन सूची तैयार करते समय संयुक्त रूप से अनुप्रयोग किया जाना चाहिए—चयन समिति को अधिकारी के प्रदर्शन अर्थात सेवा अभिलेखों, जिनमें चयन वर्ष से पूर्व के अंतिम पाँच वर्ष सम्मिलित हों, का दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार करना था—चूँकि पात्रता निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि चयन वर्ष की 1 जनवरी होती है, अतः चयन वर्ष से पूर्व वाले वर्ष की 31 मार्च तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ ही विचारणीय हैं—वर्तमान प्रकरण में चयन सूची वर्ष 2008 के लिए तैयार की जानी थी—अतः पात्रता निर्धारण की तिथि 1 जनवरी, 2008 थी—तदनुसार 31 मार्च, 2007 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ (अर्थात 01.04.2002 से 31.03.2007 तक) ही प्रासंगिक थीं—चयन समिति द्वारा यही विधिवत किया गया—सी.ए.टी. एवं उच्च न्यायालय ने स्वयं को भ्रमित करते हुए 01.04.2003 से 31.03.2008 तक की प्रविष्टियों को विचार में लिया—इसके अतिरिक्त,

यू.पी.एस.सी. द्वारा गठित चयन समिति विशेषज्ञों से युक्त होती है, अतः उसके आकलन पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि वह दुर्भावना, कुटिलता या मनमानी से प्रेरित न हो —वर्तमान प्रकरण में न तो निर्णय और न ही निर्णय-निर्माण प्रक्रिया किसी दुर्भावना से प्रेरित थी और न ही ऐसा कोई गंभीर त्रुटि हुई जिससे मनमानी सिद्ध हो—चयन युक्तिसंगत ढंग से किया गया—आई.पी.एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955—विनियम 5।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1. अधिकरण के निष्कर्षों में, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई, जो त्रुटि समाविष्ट हुई, वह इस मूल तथ्य के कारण थी कि उन्होंने चयन समिति द्वारा किए जाने वाले चयन के विस्तार/परिधि को सही ढंग से नहीं समझा। वर्ष 2008 की चयन सूची के संदर्भ में आई.पी.एस. में चयन हेतु अभ्यर्थी के विचार के उद्देश्य से 1.4.2003 से 31.03.2008 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को चयन समिति द्वारा विचार में नहीं लिया जा सकता था। दिशा-निर्देशों के कंडिका 3.1 के अनुसार, पात्र अधिकारियों का मूल्यांकन उस वर्ष से पूर्व के अंतिम पाँच वर्षों में अधिकारी के प्रदर्शन के विशेष संदर्भ में किया जाना है, जिसके लिए चयन सूची तैयार की जानी है। चूँकि अधिकारियों की पात्रता निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि उस वर्ष की 1 जनवरी होती है, जिसके लिए चयन किया जाना है, इसलिए दिशा-निर्देशों के कंडिका 3.2 के अनुसार चयन वर्ष से पूर्व वाले वर्ष की 31 मार्च तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को ही विचार में लिया जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में चयन सूची वर्ष 2008 के लिए तैयार की जानी थी। अतः इस प्रकरण में अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि 1 जनवरी, 2008 थी। तदनुसार, 31 मार्च, 2007 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ, अर्थात् चयन सूची के वर्ष से पूर्व का वर्ष, विचार में ली जानी थीं। चयन समिति दिशा-निर्देशों के कंडिका 3.1 के अनुसार अधिकारी के प्रदर्शन, अर्थात सेवा अभिलेखों, जिनमें चयन वर्ष से पूर्व के अंतिम पाँच वर्ष सम्मिलित हों, का विचार करेगी। तदनुसार, केवल पाँच वर्षों की वे वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ, जो 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष तक की हों, प्रासंगिक हैं, अर्थात् 01.04.2002 से 31.03.2007 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ ही चयन के समय विचारार्थ ली जानी चाहिए थीं। वर्तमान प्रकरण में चयन समिति द्वारा यही किया जा रहा था। अतः इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी.ए.टी.) तथा उच्च न्यायालय, दोनों ने स्वयं को भ्रमित करते हुए इस गलत निष्कर्ष पर पहुँच गए कि 01.04.2003 से 31.03.2008 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को विचार में लिया जाना चाहिए था, जबकि

ऐसा निष्कर्ष आई.पी.एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 तथा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों के विपरीत है। *(कंडिका 12) [719-सी-एच]*

2. सी.ए.टी. तथा उच्च न्यायालय ने मुख्यतः अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में राज्य स्तर पर दी गई ग्रेडिंग पर भरोसा करते हुए अपने निष्कर्ष पर पहुँचा है। तथापि, विनियमों एवं उनके अंतर्गत निर्मित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार, अधिकारियों के वर्गीकरण के प्रयोजन से चयन समिति को पात्र अधिकारियों के सेवा अभिलेखों के समग्र तुलनात्मक आकलन पर विचार करना आवश्यक होता है। चयन समिति किसी विशेष वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज ग्रेडिंग से बंधी नहीं होती, बल्कि रिपोर्टिंग/समीक्षा/स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसमें परिलक्षित अधिकारी की गुणवत्ता के आधार पर अपना स्वतंत्र आकलन करती है। अन्य शब्दों में, चयन समिति वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दी गई ग्रेडिंग को अनिवार्य रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर वह मात्र एक डाकघर बनकर रह जाएगी और संपूर्ण प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता मात्र होगी। किसी विशेष वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज ग्रेडिंग, चयन समिति द्वारा उक्त वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के संबंध में सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के पश्चात् प्राप्त निष्कर्ष से भिन्न हो सकती है। [कंडिका 13] [720-ए-डी]

3. चयन समिति में संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य करते हैं और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वे अधिकारी शामिल होते हैं जिन्हें संबंधित मामले में विशेषज्ञता प्राप्त है। जब किसी उच्च स्तरीय समिति या विशेषज्ञ निकाय ने प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता का मूल्यांकन कर लिया हो, ग्रेडिंग का आकलन कर लिया हो और पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार कर लिया हो, तो सीएटी और उच्च न्यायालय के लिए चयन समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में विचार करना उचित नहीं है। प्रासंगिक अभिलेखों के आलोक में श्रेणियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और मूल्यांकन करने में कौन से मानदंड लागू होते हैं, यह पूरी तरह से चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाना है। चूंकि कानून के अनुसार चयन करने का अधिकार चयन समिति के पास निहित है और चयन समिति के सदस्यों को इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त है, इसलिए न्यायालयों के लिए सामान्यतः ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है, सिवाय उन मामलों के जहां मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्वाग्रह, दुर्भावना या मनमानी के आधार पर दूषित हो। न्यायालय का कार्य चयन समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपील के रूप में मामलों की सुनवाई करना और

उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता की जांच करना नहीं है। किसी उम्मीदवार की किसी विशेष पद के लिए उपयुक्तता का निर्णय विधिवत गठित विशेषज्ञ निकाय, अर्थात् चयन समिति द्वारा किया जाना है। ऐसे मामलों में न्यायालयों के न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। [कंडिका 15] [720-जी, एच; 721-ए-सी]

4. इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिलक्षित एवं निष्कर्षित किया है कि चयन समिति की संस्तुतियों को केवल दुर्भावना या वैधानिक नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय चयन समिति की संस्तुतियों का परीक्षण करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी अथवा निर्णायक की भाँति नहीं बैठ सकता। यह विवेकाधिकार केवल चयन समिति को ही प्रदान किया गया है, और न्यायालय विरले ही अपीलीय न्यायालय के रूप में बैठकर किसी अभ्यर्थी के चयन की समीक्षा करता है; न ही न्यायालय का यह कार्य है कि वह प्रत्येक अभ्यर्थी का परीक्षण कर अपना मत अभिलेखित करे। चूँकि संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा गठित चयन समिति विशेषज्ञों से युक्त होती है, अतः उसके आकलन पर विश्वास किया जाना चाहिए, जब तक कि वह दुर्भावना, कुटिलता या मनमानी से प्रेरित न हो। *(कंडिका 16) [722-एफ, जी]*

5. वर्तमान प्रकरण में न तो निर्णय और न ही निर्णय-निर्माण प्रक्रिया किसी दुर्भावना से प्रेरित थी, और चयन समिति द्वारा ऐसी कोई गंभीर त्रुटि नहीं की गई जिससे मनमानी सिद्ध हो। चयन युक्तिसंगत ढंग से किया गया। आवेदक-उत्तरदाता संख्या 1 पर चयन समिति द्वारा विधिवत विचार किया गया। तथापि, उसके सेवा अभिलेखों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर, चयन सूची के आकार पर वैधानिक सीमा तथा विनियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार उच्च ग्रेडिंग वाले अधिकारियों की उपलब्धता के कारण, उसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। *(कंडिका 19)* [724-सी-डी]

आर.एस. दास बनाम भारत संघ एवं अन्य (1986) ***पूरक*** एस.सी.सी. 617 : [1987] एस.सी.आर. 527; *यू.पी.एस.सी. बनाम के. राजैया एवं अन्य* (2005) 10 एस.सी.सी. 15; *भारत संघ बनाम ए.के. नारुला* (2007) 11 एस.सी.सी. 10 : [2007] 7 एस.सी.आर. 262; *एम. वी. थिमैया बनाम यू.पी.एस.सी.* (2008) 2 एस.सी.सी. 119 : [2007] 13 एस.सी.आर. 624 — संदर्भित।

नजीर सन्दर्भ

[1987] एस.सी.आर. 527	**संदर्भित**	**कंडिका 7**
(2005) 10 एस.सी.सी. 15	**संदर्भित**	**कंडिका 16**
[2007] 7 एस.सी.आर. 262	**संदर्भित**	**कंडिका 17**
[2007] 13 एस.सी.आर. 624	**संदर्भित**	**कंडिका 18**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 की दीवानी अपील संख्या 10854

दिनांक 24.06.2013 के निर्णय एवं आदेश, जो मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2010 की रिट याचिका संख्या 15367 में पारित किया गया, से।

सुश्री बीनू तांता, अधिवक्ता — अपीलकर्ता की ओर से।

आर. वेंकटरमणि, वरिष्ठ अधिवक्ता; नितीश गुप्ता, चंद्र प्रकाश, डॉ. ऋतु भारद्वाज, यशराज बुंदेला, राधाकृष्णन, एम. योगेश कन्ना — उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय **मोहन एम. शांतानागौदर, न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया

1. यह अपील संघ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में, "यू.पी.एस.सी.") द्वारा मद्रास स्थित उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.06.2013 के विरुद्ध दायर की गई है, जो रिट याचिका संख्या 15367 सन् 2010 में पारित हुआ था, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यू.पी.एस.सी. द्वारा दायर उक्त रिट याचिका को निरस्त कर दिया तथा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चेन्नई पीठ, चेन्नई (संक्षेप में, "सी.ए.टी.") के आदेश दिनांक 07.04.2010 की पुष्टि की। उक्त आदेश द्वारा आधिकारिक उत्तरदाताओं को निर्देशित किया गया था कि वे प्रथम उत्तरदाता के नाम पर आई.पी.एस. में नियुक्ति पर विचार करें, इस उद्देश्य से कि 01.04.2003 से 31.03.2008 की अवधि के सेवा अभिलेखों को ध्यान में रखा जाए, तथा प्रथम उत्तरदाता को केवल नाममात्र रूप से आई.पी.एस. में नियुक्त किया जाए, जिसका प्रभाव अधिसूचना की तिथि, अर्थात् 05.05.2009, से माना जाए, और साथ ही निजी उत्तरदाताओं के मध्य प्रथम उत्तरदाता को उपयुक्त वरिष्ठता स्थान प्रदान किया जाए।

2. इस अपील तक ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :

प्रथम उत्तरदाता (प्रतिस्पर्धी उत्तरदाता) को तमिलनाडु राज्य में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था; उसने 26.05.1975 को पुलिस सेवा में प्रवेश किया, उसे 20.06.2015 को सेवानिवृत्त होना था; उसने उक्त पद पर विभिन्न स्थानों पर कार्य किया। राज्य पुलिस सेवा (संक्षेप में "एस.पी.एस.") के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में, उस समय प्रथम उत्तरदाता का क्रमांक 11 था। चूँकि वरिष्ठता सूची में चतुर्थ व्यक्ति अत्यधिक आयु का था, इसलिए प्रथम उत्तरदाता को प्रभावी रूप से वरिष्ठता सूची में क्रमांक 10 पर माना गया, ताकि वर्ष 2008 के लिए विचार किया जा सके, जब एस.पी.एस. अधिकारियों से भारतीय पुलिस सेवा (संक्षेप में "आई.पी.एस.") में रिक्तियाँ उत्पन्न हुई थीं। आई.पी.एस. में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति आई.पी.एस. (नियुक्ति द्वारा पदोन्नति) विनियम, 1955 द्वारा शासित है (आगे "विनियम" कहा गया)। विचार का क्षेत्र तीन गुना है और, अतः कम से कम 30 नामों पर आई.पी.एस. में नियुक्ति हेतु विचार किया जाना चाहिए। एस.पी.एस. के प्रथम 30 अधिकारियों के नामों में, जिनमें प्रथम उत्तरदाता का नाम भी सम्मिलित था, चयन समिति द्वारा वर्ष 2008 के लिए आई.पी.एस. में नियुक्ति हेतु विचार के लिए रखा गया। विचार के क्षेत्र में प्रथम उत्तरदाता का नाम क्रमांक 9 पर था। सेवा अभिलेखों के मौखिक मूल्यांकन के आधार पर चयन समिति ने प्रथम उत्तरदाता को "गुड" श्रेणी दी। इस श्रेणी के कारण, आकार की वैधानिक सीमा तथा चयन सूची में सम्मिलन के लिए उच्च श्रेणी वाले अधिकारियों की उपलब्धता के कारण, उसे वर्ष 2008 की चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका। यद्यपि, एक पूर्ववर्ती समय पर यह पाया गया कि श्रीमती वी. जयश्री (यहाँ उत्तरदाता सं. 6) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित थी, जो बाद में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निरस्त/समाप्त कर दी गई; तत्पश्चात भारत सरकार ने श्रीमती वी. जयश्री को आई.पी.एस. में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा सभी रिक्तियाँ भर दी गईं, जिनमें यहाँ उत्तरदाता सं. 6 की रिक्ति भी सम्मिलित थी।

3. वर्ष 2008 की चयन सूची में अपना नाम शामिल न किए जाने से व्यथित होकर, प्रथम उत्तरदाता ने सीएटी के समक्ष मूल आवेदन संख्या 441/2009 दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि उनके सेवा रिकॉर्ड के वैध मूल्यांकन के आधार पर, चयन समिति को उन्हें "उत्कृष्ट" या कम से कम "बहुत अच्छा" श्रेणी में रखना चाहिए था, और ऐसी स्थिति में उनका चयन आईपीएस में नियुक्ति के लिए हो जाता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनका सेवा रिकॉर्ड लगभग सभी निजी उत्तरदाताओं से बेहतर है और चयन समिति ने आईपीएस में उनकी नियुक्ति को नजरअंदाज करके मनमाने ढंग से चयन

किया है।

4. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी.ए.टी.) ने प्रथम उत्तरदाता द्वारा दायर मूल आवेदन संख्या 441/2009 को अपने 07.04.2010 के निर्णय द्वारा स्वीकार किया। सी.ए.टी. का उक्त निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 15367 of 2010 में दिनांक 24.06.2013 के निर्णय एवं आदेश द्वारा पुष्टि किया गया। सी.ए.टी. तथा उच्च न्यायालय के इन निर्णयों को इस अपील में यूपीएससी द्वारा चुनौती दी गई है।

5. इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि यूपीएससी संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत उसे सौंपे गए कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के बल पर आई.ए.एस./आई.पी.एस. के लिए पृथक भर्ती नियम बनाए गए हैं। आई.पी.एस. (नियुक्ति द्वारा पदोन्नति) विनियम, 1955 उप-नियम (1) नियम 9, आई.पी.एस. (भर्ती) नियम, 1954 के अनुसरण में बनाए गए हैं। नियुक्ति की पद्धति विनियम 5 में प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है—

"5. उपयुक्त अधिकारियों की सूची की तैयारी:—

5(1) प्रत्येक समिति प्रत्येक वर्ष बैठक करेगी और राज्य पुलिस सेवा के ऐसे सदस्यों की सूची तैयार करेगी जिन्हें सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना गया हो। सूची में सम्मिलित किए जाने वाले राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों की संख्या, संबंधित राज्य सरकार से परामर्श कर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी और उस वर्ष 1 जनवरी को विद्यमान वास्तविक रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी, जिन पदों पर भर्ती नियमों के नियम 9 के अंतर्गत उनके लिए पद उपलब्ध हों। समिति की बैठक की तिथि तथा स्थान समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे:

परन्तु यह कि समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी और न ही उस वर्ष के लिए कोई सूची तैयार की जाएगी, यदि—

(ए) उस वर्ष की 1 जनवरी को, भर्ती नियमों के नियम 9 के अंतर्गत राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों के लिए उपलब्ध पदों पर कोई वास्तविक रिक्ति न हो; या ...

(बी) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से परामर्श कर, यह निर्णय करे कि उस

वर्ष कोई भर्ती नहीं की जाएगी, क्योंकि राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों के लिए उपलब्ध पदों पर उस वर्ष की 1 जनवरी को कोई वास्तविक रिक्ति विद्यमान नहीं है, जो भर्ती नियमों के नियम 9 के अंतर्गत आती हो;

परन्तु यह भी कि यदि उपर्युक्त उपबंधों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से समिति की बैठक किसी वर्ष आयोजित नहीं की जा सकी हो, तो जब समिति पुनः बैठक करे, तब वह उस प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक-पृथक चयन सूची तैयार करेगी, जिन वर्षों में समिति प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर तक बैठक नहीं कर सकी थी।

व्याख्या— संयुक्त काडर के मामले में, प्रत्येक राज्य पुलिस सेवा के संबंध में अलग चयन सूची तैयार की जाएगी।

5(2) समिति, उक्त सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु, राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों के मामलों पर उनकी वरिष्ठता के क्रम में विचार करेगी, बशर्ते कि ऐसे सदस्यों की संख्या उप-नियम (1) में उल्लिखित संख्या की तीन गुना के बराबर हो।

परन्तु यह कि ऐसे प्रतिबंध को उस राज्य के संबंध में लागू नहीं किया जाएगा, जहाँ पात्र अधिकारियों की कुल संख्या चयन सूची के अधिकतम अनुमेय आकार की तीन गुना से कम हो; और ऐसी स्थिति में समिति सभी पात्र अधिकारियों पर विचार करेगी;

परन्तु यह भी कि विचार-क्षेत्र में सम्मिलन के लिए संख्या की गणना करते समय, उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अधिकारियों की संख्या को अपवर्जित किया जाएगा;

परन्तु यह भी कि समिति किसी राज्य पुलिस सेवा के सदस्य के मामले पर विचार नहीं करेगी, जब तक कि जिस वर्ष के लिए चयन सूची तैयार की जा रही है, उस वर्ष की 1 जनवरी को वह राज्य पुलिस सेवा में वास्तविक रूप से नियुक्त न हो और उसने उप पुलिस अधीक्षक के पद पर (चाहे कार्यवाहक हो या वास्तविक) अथवा पुलिस में किसी अन्य ऐसे पद पर, जिसे राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित किया गया हो, निरंतर कम से कम आठ वर्ष की सेवा पूर्ण न कर ली हो।

इसके अलावा, आपातकालीन सेवामुक्त या अल्प सेवा अधिकारी (जिन्हें राज्य पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया है) के संबंध में, पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत आवश्यक आठ वर्ष की निरंतर सेवा की गणना उनकी नियुक्ति की मानी गई तिथि से की जाएगी, इस शर्त के अधीन कि ऐसे अधिकारी विचार के लिए पात्र होंगे यदि उन्होंने चयन सूची तैयार किए जाने वाले वर्ष के 1 जनवरी को पुलिस उप-अधीक्षक के पद पर या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित किसी अन्य पद पर कम से कम चार वर्ष की वास्तविक निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।

व्याख्या— इस उप-नियम के तृतीय उपबंध के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियाँ, राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों के संबंध में, उस राज्य की सरकार द्वारा प्रयोग की जाएँगी।

5(2)(ए) विलोपित।

5(3) समिति उन राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों के मामलों पर विचार नहीं करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को, जिसके लिए चयन सूची तैयार की जा रही है, 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

परन्तु यह कि राज्य पुलिस सेवा का वह सदस्य, जिसका नाम समिति की बैठक से पूर्व किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए तैयार की गई चयन सूची में सम्मिलित है, किन्तु केवल इस कारण से सेवा में नियुक्त नहीं किया गया कि उसका नाम उस चयन सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया था, समिति द्वारा तैयार की जाने वाली प्रथम चयन सूची में सम्मिलन हेतु विचार किया जाएगा, भले ही इस बीच उसने 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

परन्तु यह भी कि राज्य पुलिस सेवा का वह सदस्य, जिसने उस वर्ष की 1 जनवरी को, जिसके लिए चयन सूची तैयार की जा रही है, 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, समिति द्वारा विचार हेतु लिया जाएगा, यदि वह चयन सूची तैयार किए जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को या उससे ठीक पूर्ववर्ती किसी वर्ष/वर्षों की 1 जनवरी को विचार हेतु पात्र था और उन पूर्ववर्ती वर्ष/वर्षों में समिति की बैठक आयोजित की गई हो, किंतु उप-नियम (1) के परंतुक के

खंड (b) के अधीन उन पूर्ववर्ती वर्ष/वर्षों में समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी हो, तो उसे विचार से वंचित नहीं किया जाएगा।

5(3)(क) समिति ऐसे राज्य पुलिस सेवा के सदस्य के मामले पर विचार नहीं करेगी, जिसे पूर्व में किसी चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो और—

(क) जिसने विनियम 9 के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की हो;

परंतु यह कि यदि वह वर्ष के प्रारंभ से पूर्व राज्य सरकार को लिखित रूप में सेवा में नियुक्ति के लिए विचारार्थ न लिए जाने की अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए आवेदन करता है, तो उसे चयन सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु विचार किया जाएगा;

(ख) जिसे विनियम 9(क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा सेवा में नियुक्त नहीं किया गया हो।

5(4) चयन समिति पात्र अधिकारियों का वर्गीकरण "उत्कृष्ट", "अत्यंत उत्तम", "उत्तम" तथा "अयोग्य" के रूप में करेगी, जैसा कि उनके सेवा अभिलेखों के समग्र तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त हो।

5(5) सूची इस प्रकार तैयार की जाएगी कि आवश्यक संख्या में नाम पहले उन अधिकारियों में से लिए जाएँ जिन्हें "उत्कृष्ट" के रूप में अंतिम रूप से वर्गीकृत किया गया है, तत्पश्चात उसी प्रकार "अत्यंत उत्तम" तथा उसके बाद "उत्तम" वर्ग में वर्गीकृत अधिकारियों में से, और प्रत्येक श्रेणी के भीतर नामों का क्रम राज्य पुलिस सेवा में उनकी वरिष्ठता के अनुसार होगा।

परंतु यह कि सूची में सम्मिलित किसी अधिकारी का नाम अस्थायी (प्रोविजनल) माना जाएगा, यदि राज्य सरकार उस अधिकारी के संबंध में सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र रोक लेती है या उसके विरुद्ध कोई विभागीय अथवा आपराधिक कार्यवाही लंबित है या उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य राज्य सरकार के संज्ञान में आया है, जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त प्रतीत होता हो।

यह भी उपबंधित है कि उप-विनियम (1) के द्वितीय उपबंध के अनुसरण में एक से अधिक वर्षों के लिए वर्षवार चयन सूचियाँ तैयार करते समय, किसी भी चयन सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित अधिकारी को आगामी वर्ष की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु, सामान्य विचार क्षेत्र के अतिरिक्त, विचार किया जाएगा और यदि वह उस वर्ष की उपयुक्तता सूची में अस्थायी आधार पर सम्मिलित किए जाने योग्य पाया जाता है, तो उसका ऐसा सम्मिलन उस वर्ष के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त होगा।

व्याख्या ।— कार्यवाही को केवल उसी स्थिति में लंबित माना जाएगा जब वास्तव में अधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी कर दिया गया हो या, यथास्थिति, किसी न्यायालय में दायर कर दिया गया हो।

व्याख्या ॥— वह प्रतिकूल तथ्य, जो राज्य सरकार के संज्ञान में आया हो और जिसने अधिकारी को सेवा में नियुक्त करने की उसकी उपयुक्तता के संबंध में प्रभावित किया हो, राज्य सरकार के संज्ञान में तभी लाया जा सकता है जब ऐसे तथ्य केंद्रीय सरकार को संप्रेषित किए गए हों और केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण अधिकारी की उपयुक्तता पर प्रभाव डालते हैं तथा उनकी जाँच आवश्यक है।

5(6) लोपित।

5(7) विलोपित।

6. अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री बिनु तामटा ने, जबकि अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य के आधार पर सी.ए.टी. तथा उच्च न्यायालय द्वारा मामले पर विचार किया गया, यह प्रतिपादित किया कि दोनों ने प्रथम उत्तरदाता के प्रदर्शन का आकलन अपीलीय प्राधिकारी के रूप में करते हुए त्रुटि की है और यह कि उन्होंने 01.04.2003 से 31.03.2008 की अवधि की वार्षिक गोपनीय आख्या को विचार में लेकर भी त्रुटि की; चयन के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट 01.04.2002 से 31.03.2007 की अवधि की थीं। यह कहा गया कि चयन समिति ने उन वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को विधिसम्मत रूप से विचार में लिया है और इसलिए आक्षेपित निर्णय विधि के अनुरूप नहीं हैं; चयन

समिति द्वारा चयन केवल संबंधित अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर आधारित नहीं होना है, बल्कि अन्य प्रासंगिक कारकों—जिनमें अधिकारी के सेवा अभिलेखों की जाँच, पात्रता सूची/विचार-क्षेत्र के अन्य अधिकारियों से तुलनात्मक मूल्यांकन तथा समग्र सापेक्ष आकलन —भी सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त प्रक्रिया, जिसका पालन निरंतर किया जाना था, के विपरीत, सी.ए.टी. तथा उच्च न्यायालय—दोनों—ने मामला केवल प्रथम उत्तरदाता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दिए गए ग्रेडिंग के आधार पर ही निस्तारित कर दिया है, और वह भी 01.04.2003 से 31.03.2008 की अवधि की।

7. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वेंकटरमणी ने सी.ए.टी. तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम उत्तरदाता का सेवा अभिलेख 31.03.2008 तक, अथवा कम से कम 31.03.2007 तक, अधिकांशतः "उत्कृष्ट" रहा है; अतः उसे "उत्कृष्ट" या कम से कम "अत्यंत उत्तम" श्रेणी में आंका जाना चाहिए था; प्रथम उत्तरदाता को वरीयता देने के बजाय उसके कनिष्ठों की नियुक्ति करते हुए उसे वरीयता से वंचित करने के लिए कोई कारण नहीं दर्शाया गया; अन्य निजी उत्तरदाताओं को "अत्यंत उत्तम" श्रेणी में आंका गया, जबकि चयनित छह कनिष्ठों में से किसी के भी सेवा अभिलेख में "उत्कृष्ट" श्रेणी नहीं थी, और उनमें से कुछ के पास "अत्यंत उत्तम" श्रेणी भी नहीं थी; चयन समिति तथा संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) ने विनियमों के अनुसार प्रथम उत्तरदाता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं किया, और इसलिए सी.ए.टी. के समक्ष चुनौती दी गई सूची को संशोधित करते हुए प्रथम उत्तरदाता को आई.पी.एस. में नियुक्त करने का निर्देश देना उचित था। उन्होंने **आर. एस. दास बनाम भारत संघ एवं अन्य, 1986 (पूरक) एस.सी.सी. 617** के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह भी प्रतिपादित किया कि विनियम 5 चयन प्रक्रिया में वरिष्ठता की भूमिका का परीक्षण करता है तथा योग्यता को प्रमुखता एवं प्रधानता प्रदान करता है। मेधावी अभ्यर्थियों का वर्गीकरण सेवा अभिलेखों, जिनमें उच्च पदों पर आसीन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अभिलिखित गोपनीय आचरण विवरण (कन्फिडेंशियल कैरेक्टर रोल) सम्मिलित हैं, के आधार पर किया जाता है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि वर्तमान समय में, यदि जीवन की वास्तविकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए, तो यह नहीं कहा जा सकता कि केवल इस आधार पर कि अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ में है, पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है; कुछ वरिष्ठ अधिकारियों में निष्पक्षता एवं न्याय की आंतरिक भावना में पर्याप्त ह्रास देखा गया है,

और अनेक उदाहरणों से यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार का आकलन पूर्णतः अनुचित है। योग्यता के आधार पर चयन से चयन प्राधिकारी को व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त होता है, और कारणों के अभाव में वस्तुनिष्ठता का अभाव रहेगा तथा राज्य सिविल सेवा के सदस्यों के साथ चयन समिति द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार की संभावना उत्पन्न हो सकती है। इन सहित अन्य आधारों पर उन्होंने अपील को खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

8. इस न्यायालय ने **आर.एस. दास बनाम भारत संघ** *(उपर्युक्त)* के मामले में यह अवलोकन किया है कि किसी भी शिकायत—चाहे वह मनमानी, कल्पित अथवा अन्य किसी आधार पर हो—को दूर करने के लिए, उपर्युक्त ढंग से वर्गीकरण हेतु कोई वस्तुनिष्ठ आधार निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा वस्तुनिष्ठ आधार ज्ञात कराया जाता है, और उसके पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षा कनिष्ठ अधिकारियों का चयन किया जाता है, तो चयन समिति को अपने कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी, और ऐसा चयन न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन भी नहीं करेगा। अभ्यर्थियों के मन में किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए, इस न्यायालय ने सरकार तथा प्राधिकारियों को यह सुझाव दिया कि अधिकारियों के वर्गीकरण हेतु कोई आधार होना चाहिए, और ऐसा आधार वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, न कि मात्र व्यक्तिपरक मूल्यांकन पर आधारित। आगे यह भी कहा गया कि ऐसे आधार को दिशानिर्देशों के रूप में प्रतिपादित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा किए गए उक्त अवलोकनों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार ने यू.पी.एस.सी. द्वारा अनुपालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए। 12.03.2008 की स्थिति में, दिशानिर्देशों के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

> "2.1 चयन सूचियाँ तैयार करने के लिए, अधिकारियों की पात्रता निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि 'वर्ष' के प्रथम दिन के संदर्भ में ली जाती है, जैसा कि आई.ए.एस. (नियुक्ति एवं पदोन्नति) विनियमों के विनियम 2(1)(I) में परिभाषित है, और जो वर्तमान में कैलेंडर वर्ष है। जिस वर्ष चयन समिति वास्तव में बैठक करती है, अर्थात् एस.सी.एम. वर्ष, वह विनियम 2(1)(I) की परिभाषा के अनुरूप होता है। आगे, इन दिशा-निर्देशों में, जहाँ आई.ए.एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमों के प्रावधानों का उल्लेख है, वहीं आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. विनियमों के समतुल्य प्रावधान क्रमशः आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. चयन सूचियाँ तैयार करते समय लागू होंगे।
>
> 2.2 पदोन्नति विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ चयन समिति द्वारा वर्षवार चयन सूचियाँ तैयार की जाती हैं, वहाँ अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने की

महत्वपूर्ण तिथि चयन सूची वर्ष की 1 जनवरी मानी जाती है तथा पूर्ववर्ती वर्ष की चयन सूची तैयार करने के लिए अनुमानित नियत तिथि उस चयन सूची वर्ष की 31 दिसम्बर मानी जाती है, ताकि पात्र अधिकारियों की उपलब्धता का आकलन किया जा सके। वर्तमान वर्ष की चयन सूची के लिए, पात्र अधिकारियों की उपलब्धता का निर्धारण चयन समिति की बैठक की तिथि पर किया जाता है।

2.3 पदोन्नति विनियमों के विनियम 5(4) के अनुसार, चयन समिति पात्र अधिकारियों का वर्गीकरण "उत्कृष्ट", "अत्यंत उत्तम", "उत्तम" अथवा "अयोग्य" के रूप में करेगी, जैसा कि उनके सेवा अभिलेखों (अर्थात् वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलेखित अन्य दस्तावेज) के समग्र तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त हो। समग्र तुलनात्मक मूल्यांकन करते समय समिति केवल रिपोर्टिंग/समीक्षा/स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा दी गई ग्रेडिंग पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि नीचे निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पात्र अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का स्वतंत्र आकलन करेगी।"

3.1 चयन समिति प्रत्येक पात्र अधिकारी के सेवा अभिलेखों का परीक्षण करेगी, जिसमें चयन सूची के वर्ष से पूर्व के अंतिम पाँच वर्षों के दौरान अधिकारी के प्रदर्शन का विशेष रूप से संदर्भ लिया जाएगा, और विचार-विमर्श के पश्चात समिति अपना आकलन "आकलन पत्रक" में अभिलेखित करेगी, जिसमें आकलन मैट्रिक्स (अधिकारी × वर्षवार आकलन) तथा अधिकारियों के समग्र आकलन का स्तंभ सम्मिलित होगा।

3.2 चूँकि चयन सूची तैयार करने की महत्वपूर्ण तिथि चयन सूची के वर्ष की 1 जनवरी होती है, अतः चयन सूची के वर्ष से पूर्व वाले वर्ष की 31 मार्च तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ (जहाँ वार्षिक वर्ष के आधार पर प्रविष्टियाँ लिखी जाती हैं) अथवा 31 दिसंबर तक की प्रविष्टियाँ (जहाँ कैलेंडर वर्ष के आधार पर प्रविष्टियाँ लिखी जाती हैं) चयन समिति द्वारा विचारार्थ ली जाएँगी।

4.1 चयन समिति पात्र अधिकारियों के अभिलेखों का परीक्षण कर, विभिन्न वर्षों के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में रिपोर्टिंग/समीक्षण/स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित स्तंभों में दर्शित अधिकारी की गुणवत्ता पर विचार-विमर्श के पश्चात उनका आकलन करेगी तथा अंततः प्रत्येक अधिकारी को प्रदान की जाने वाली श्रेणी निर्धारित करेगी। चयन समिति संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के

प्रशंसा संबंधी आदेशों को भी ध्यान में रखेगी। इसी प्रकार, वह उन आदेशों को भी ध्यान में रखेगी जिनमें दंडादेश दिए गए हों अथवा अधिकारी को संप्रेषित कोई प्रतिकूल टिप्पणी हो, जो उसकी अभ्यावेदन पर विचार के पश्चात भी पूर्णतः निरस्त नहीं की गई हो।

4.2 चयन समिति केवल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों (ए.सी.आर.) में अंकित समग्र ग्रेडिंग से ही निर्देशित नहीं होगी, यदि कोई हो, बल्कि वह ए.सी.आर. में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर अपना स्वतंत्र आकलन करेगी, क्योंकि कभी-कभी ए.सी.आर. में दी गई समग्र ग्रेडिंग विभिन्न मानदंडों या गुणों के अंतर्गत दी गई ग्रेडिंग के साथ असंगत हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि समीक्षण प्राधिकारी या स्वीकृति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, ने रिपोर्टिंग अधिकारी या समीक्षण प्राधिकारी द्वारा किए गए आकलन से भिन्न मत व्यक्त किया हो, तो आकलन के उद्देश्य से उस उच्चतर प्राधिकारी की टिप्पणियों को अंतिम टिप्पणियाँ माना जाएगा, बशर्ते कि संबंधित प्रविष्टियों से यह स्पष्ट हो कि उच्च प्राधिकारी ने समुचित विचार के पश्चात सचेत रूप से भिन्न आकलन किया है। यदि रिपोर्टिंग अधिकारी तथा समीक्षण प्राधिकारी की टिप्पणियाँ परस्पर पूरक हों और एक-दूसरे को निरस्त करने का प्रभाव न रखती हों, तो उन टिप्पणियों को एक साथ पढ़ा जाएगा और चयन समिति द्वारा कंडिका 4.1 के अनुसार अंतिम आकलन किया जाएगा। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के डी.पी.सी. दिशा-निर्देशों के अनुरूप भी है, जो इसके कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/86-स्थापना (डी) दिनांक 10.04.1989 (समय-समय पर संशोधित) में निहित हैं।

4.4 अधिकारियों के समग्र आकलन को अंतिम रूप देते समय (जैसा कि कंडिका 3.1 में उल्लिखित है), किसी अधिकारी को निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जाएगा :—

(क) "उत्कृष्ट", यदि चयन समिति के मत में अधिकारी के सेवा अभिलेख यह दर्शाते हों कि वह असाधारण गुणों एवं क्षमताओं से युक्त उत्कृष्ट योग्यता का अधिकारी है तथा ये विशेषताएँ पिछले पाँच वर्षों की कम से कम चार वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में परिलक्षित होती हों, जिनमें अंतिम वर्ष की प्रविष्टि भी सम्मिलित हो (अर्थात् उस वर्ष से पूर्व का वर्ष, जिसके लिए चयन सूची तैयार की जाती है), बशर्ते कि शेष वर्ष की ए.सी.आर. में उसे कम से कम "उत्तम" श्रेणी

प्राप्त हो। किसी अधिकारी को "उत्कृष्ट" श्रेणी प्रदान करते समय निम्नलिखित संकेतक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा :—

(i) यद्यपि ए.सी.आर. में दी गई समग्र ग्रेडिंग का महत्व होगा, तथापि अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए यह आवश्यक होगा कि ए.सी.आर. में दर्ज सभी व्यक्तिगत गुणों/स्तंभों जैसे कार्य निष्पादन, लक्ष्य प्राप्ति, पर्यवेक्षण, प्रबंधकीय क्षमताएँ, व्यक्तित्व गुण आदि का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाए, उसके पश्चात ही समिति अधिकारी को "उत्कृष्ट" श्रेणी प्रदान करने का निर्णय करेगी।

(ii) अतः किसी अधिकारी को "उत्कृष्ट" श्रेणी प्रदान करने से पूर्व उसके प्रदर्शन का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए। विभिन्न वर्षों में विभिन्न समितियों द्वारा दी गई ग्रेडिंग में भी सामंजस्य होना चाहिए।

(iii) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे "उत्कृष्ट" अधिकारी अन्य अधिकारियों को वरीयता में पीछे छोड़ने वाले हैं, यह सुनिश्चित करना और भी अधिक आवश्यक है कि ऐसे अधिकारी ने "उत्कृष्ट" श्रेणी प्रदान किए जाने के कठोर मानकों को पूर्ण किया हो। इस उद्देश्य से, संबंधित अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में विधि-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन आदि क्षेत्रों में उसके महत्वपूर्ण उपलब्धियों अथवा कार्य की असाधारण प्रकृति का स्पष्ट विवरण होना चाहिए।

(iv) पदस्थापनाएँ किसी अधिकारी के नियंत्रण में नहीं होतीं, अतः उसके कारण उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, अधिकारी का आकलन करते समय समिति उन विभिन्न पदों का भी परीक्षण कर सकती है जिन पर ऐसे "उत्कृष्ट" अधिकारी ने कार्य किया है तथा वर्षों के दौरान उसके द्वारा निभाए गए कर्तव्यों की प्रकृति का भी मूल्यांकन करेगी।

(ख) "अत्यंत उत्तम", यदि चयन समिति के मत में उसकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ यह दर्शाती हों कि अधिकारी ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया है और उसमें सकारात्मक गुण विद्यमान हैं, तथा ये विशेषताएँ पिछले पाँच वर्षों की कम से कम चार ए.सी.आर. में परिलक्षित होती हों (अर्थात् चयन सूची के वर्ष से पूर्व

तक), बशर्ते कि शेष वर्ष की ए.सी.आर. में उसे कम से कम "उत्तम" श्रेणी प्राप्त हो।

(ग) "उत्तम", यदि चयन समिति के मत में सेवा अभिलेख यह दर्शाते हों कि अधिकारी का प्रदर्शन सामान्यतः संतोषजनक है और उसे पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है, तथा ये विशेषताएँ पिछले पाँच वर्षों की प्रत्येक ए.सी.आर. में परिलक्षित होती हों (अर्थात् चयन सूची के वर्ष से पूर्व तक)।

(घ) "अयोग्य", यदि किसी अधिकारी की प्रविष्टियों में कोई विशेष योग्यता परिलक्षित नहीं होती अथवा उसका प्रदर्शन सामान्यतः संतोषजनक नहीं है, या यदि नवीनतम ए.सी.आर. में ऐसे प्रतिकूल अभिलेख दर्ज हों जो पदोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों, अथवा ए.सी.आर. में दंड संबंधी प्रविष्टियाँ हों, जिनके आधार पर चयन समिति के मत में वह अधिकारी पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

दिशा-निर्देशों के कंडिका 2.1 एवं 2.2 अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण तिथि निर्धारित करने से संबंधित हैं, अर्थात् चयन सूची वर्ष की 1 जनवरी। कंडिका 2.3 यह घोषित करती है कि समग्र तुलनात्मक मूल्यांकन केवल रिपोर्टिंग/समीक्षण/स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा दर्ज ग्रेडिंग पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि चयन समिति सेवा अभिलेखों का अपना स्वतंत्र आकलन करेगी। कंडिका 3.1 आकलन के दायरे से संबंधित है। चयन समिति प्रत्येक अधिकारी के प्रदर्शन, अर्थात् चयन सूची के वर्ष से पूर्व के अंतिम पाँच वर्षों के सेवा अभिलेखों, पर विचार करेगी। कंडिका 3.2 यह निर्धारित करती है कि चूँकि अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि चयन सूची वर्ष की 1 जनवरी होती है, अतः चयन सूची के वर्ष से पूर्व वाले वर्ष की 31 मार्च तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को विचार में लिया जाना चाहिए। कंडिका 4.1 आकलन की प्रक्रिया का निर्धारण करती है। उक्त दिशा-निर्देश यह अनिवार्य करते हैं कि चयन समिति सभी प्रासंगिक अभिलेखों का परीक्षण करेगी तथा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के विभिन्न स्तंभों में अंकित अधिकारी की गुणवत्ता पर विचार-विमर्श करने के पश्चात अपना आकलन करेगी और अंततः निष्कर्ष पर पहुँचेगी। कंडिका 4.2 यह स्पष्ट करती है कि चयन समिति केवल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में दी गई समग्र ग्रेडिंग से निर्देशित नहीं होगी, बल्कि उसमें दर्ज सभी प्रविष्टियों के आधार पर अपना स्वतंत्र आकलन करेगी, क्योंकि कभी-कभी ए.सी.आर. की समग्र ग्रेडिंग विभिन्न मानकों अथवा गुणों के

अंतर्गत दी गई ग्रेडिंग से असंगत हो सकती है। इसका आशय यह है कि चयन समिति केवल औपचारिक रूप से कार्य नहीं करेगी, बल्कि समुचित विचार के पश्चात निर्णय लेगी। कंडिका 4.4 अधिकारियों के समग्र आकलन/वर्गीकरण से संबंधित है। इसमें यह उपबंधित है कि कंडिका 3.1 के अनुसार समग्र आकलन को अंतिम रूप देते समय किसी अधिकारी को "उत्कृष्ट", "अत्यंत उत्तम", "उत्तम" अथवा "अयोग्य" के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा। उक्त कंडिका में यह भी विस्तार से वर्णित है कि ऐसी श्रेणीकरण किस प्रकार और किन आधारों पर किया जाएगा।

9. विनियमों तथा दिशा-निर्देशों का चयन सूची तैयार करते समय संयुक्त रूप से अनुप्रयोग किया जाना आवश्यक है। हमारे विचार में, विनियम एवं दिशा-निर्देश संयुक्त रूप से पर्याप्त प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं तथा वे अपने आप में एक पूर्ण संहिता का निर्माण करते हैं। विनियमों एवं दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित चयन समिति, राज्य पुलिस सेवा (एस.पी.एस.) के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) में पदोन्नति हेतु चयन के लिए सूची तैयार करती है। विनियमों के विनियम 5(1) के अनुसार, किसी विशेष भर्ती वर्ष के लिए आई.पी.एस. में पदोन्नति हेतु चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले एस.पी.एस. सदस्यों की संख्या भारत सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा संबंधित राज्य सरकार से परामर्श कर निर्धारित की जाती है, जिसमें उस वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार उपलब्ध स्थायी रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है, जिस वर्ष चयन समिति बैठक करती है। इसके पश्चात राज्य सरकार, वरिष्ठता सूची, पात्रता सूची (जो रिक्तियों की संख्या के अधिकतम तीन गुना तक हो सकती है), सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, विभागीय/आपराधिक कार्यवाहियों से संबंधित प्रमाणपत्र, प्रतिकूल टिप्पणियों के संप्रेषण से संबंधित प्रमाणपत्र, पात्र अधिकारियों पर लगाए गए दंडों का विवरण आदि तथा पात्र अधिकारियों के पूर्ण वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अभिलेख (ए.सी.आर. डोज़ियर) सहित प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को अग्रेषित करती है।

राज्य सरकार से उपर्युक्त अभिलेख प्राप्त होने पर, संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) उन अभिलेखों को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जहाँ चयन समिति संबंधित भर्ती वर्ष के लिए चयन करती है। विनियम 5(4) के प्रावधानों के अनुसार, चयन समिति विचार क्षेत्र में सम्मिलित पात्र एस.पी.एस. अधिकारियों का उनके सेवा अभिलेखों के समग्र तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर "उत्कृष्ट", "अत्यंत उत्तम", "उत्तम" अथवा "अयोग्य" के रूप में वर्गीकरण करती है। तत्पश्चात चयन समिति विनियम 5(5) के

अनुसार सूची तैयार करती है, जिसमें आवश्यक संख्या में नाम पहले "उत्कृष्ट" वर्ग के अधिकारियों में से, उसके बाद "अत्यंत उत्तम" वर्ग के अधिकारियों में से तथा तत्पश्चात "उत्तम" वर्ग के अधिकारियों में से सम्मिलित किए जाते हैं। विनियम 6 एवं 6A के अनुसार, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को चयन समिति की संस्तुतियों पर अपने अभिमत प्रस्तुत करने होते हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के अभिमत तथा प्राप्त अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात आयोग, विनियम 7 के अनुसार, चयन समिति की संस्तुतियों पर, संशोधन सहित या बिना संशोधन के, अंतिम निर्णय लेता है। तत्पश्चात भारत सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा चयन सूची के आधार पर आई.पी.एस. में नियुक्तियाँ की जाती हैं। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि एस.पी.एस. से आई.पी.एस. में चयन एवं नियुक्ति के लिए संपूर्ण प्रक्रिया विधिवत निर्धारित है।

10. जैसा कि *पूर्व में* उल्लेख किया गया है, प्रथम उत्तरदाता का यह कथन है कि चयन समिति को उसके सेवा अभिलेखों के समग्र तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर उसे "उत्कृष्ट" या कम से कम "अत्यंत उत्तम" श्रेणी प्रदान करनी चाहिए थी, और परिणामस्वरूप वह वर्ष 2008 के लिए चयनित हो जाती। उसका यह भी तर्क है कि उसके सेवा अभिलेखों की तुलना उन निजी उत्तरदाताओं से करने पर, जो उससे कनिष्ठ थे, उसे चयन सूची से बाहर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसके सेवा अभिलेख उनमें से अधिकांश से बेहतर थे। अतः उसके अनुसार चयन समिति ने उक्त चयन प्रक्रिया में प्रथम उत्तरदाता को वरीयता से वंचित कर मनमाने ढंग से कार्य किया है।

11. सी.ए.टी. तथा उच्च न्यायालय ने वस्तुतः प्रथम उत्तरदाता के प्रदर्शन का आकलन किया है, मुख्यतः 01.04.2003 से 31.03.2008 की अवधि के सेवा अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, तथा आधिकारिक उत्तरदाताओं को यह निर्देश दिया है कि उसे अधिसूचना की तिथि से, अर्थात् 05.05.2009 से प्रभावी काल्पनिक नियुक्ति मानते हुए, निजी उत्तरदाताओं के मध्य उपयुक्त वरिष्ठता प्रदान कर, आई.पी.एस. में नियुक्त किया जाए।

12. हमारे विचार में, अधिकरण के निष्कर्षों में, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई, जो त्रुटि समाविष्ट हुई, वह इस मूल तथ्य के कारण थी कि उन्होंने चयन समिति द्वारा किए जाने वाले चयन के विस्तार/परिधि को सही ढंग से नहीं समझा। वर्ष 2008 की चयन सूची के संदर्भ में आई.पी.एस. में चयन हेतु अभ्यर्थी के विचार के उद्देश्य से 01.04.2003 से 31.03.2008 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को चयन समिति द्वारा विचार में नहीं लिया

जा सकता था, जैसा कि सी.ए.टी. तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभिलक्षित किया गया। दिशा-निर्देशों के कंडिका 3.1 के अनुसार, पात्र अधिकारियों का मूल्यांकन उस वर्ष से पूर्व के अंतिम पाँच वर्षों में अधिकारी के प्रदर्शन के विशेष संदर्भ में किया जाना है, जिसके लिए चयन सूची तैयार की जानी है। चूँकि अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि उस वर्ष की 1 जनवरी होती है, जिसके लिए चयन किया जाना है, इसलिए दिशा-निर्देशों के कंडिका 3.2 के अनुसार चयन वर्ष से पूर्व वाले वर्ष की 31 मार्च तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को ही विचार में लिया जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में चयन सूची वर्ष 2008 के लिए तैयार की जानी थी। अतः इस प्रकरण में अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि 1 जनवरी, 2008 थी। तदनुसार, 31 मार्च, 2007 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ, अर्थात् चयन सूची के वर्ष से पूर्व का वर्ष, विचार में ली जानी थीं। जैसा कि उपरोक्त (उपरोक्त) उल्लेखित है, चयन समिति दिशा-निर्देशों के कंडिका 3.1 के अनुसार अधिकारी के प्रदर्शन, अर्थात् सेवा अभिलेखों, जिनमें चयन वर्ष से पूर्व के अंतिम पाँच वर्ष सम्मिलित हों, का विचार करेगी। तदनुसार, केवल पाँच वर्षों की वे वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ, जो 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष तक की हों, प्रासंगिक थीं, अर्थात् 01.04.2002 से 31.03.2007 तक की प्रविष्टियाँ ही चयन के समय विचारार्थ ली जानी चाहिए थीं। वर्तमान प्रकरण में चयन समिति द्वारा यही किया जा रहा था। अतः इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि सी.ए.टी. तथा उच्च न्यायालय, दोनों ने स्वयं को भ्रमित करते हुए इस गलत निष्कर्ष पर पहुँच गए कि 01.04.2003 से 31.03.2008 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को विचार में लिया जाना चाहिए था, जबकि ऐसा निष्कर्ष विनियमों एवं दिशा-निर्देशों के विपरीत है।

13. सी.ए.टी. तथा उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुँचते समय मुख्यतः राज्य स्तर पर अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में दी गई ग्रेडिंग पर निर्भर किया है। किन्तु, विनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधिकारियों का वर्गीकरण करते समय चयन समिति को प्रत्येक पात्र अधिकारी के सेवा अभिलेखों के समग्र तुलनात्मक मूल्यांकन पर विचार करना आवश्यक था। चयन समिति केवल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में अंकित ग्रेडिंग से निर्देशित नहीं होती, बल्कि रिपोर्टिंग/समीक्षण/स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा विभिन्न स्तंभों में दर्ज अधिकारी की गुणवत्ता के आधार पर अपना स्वतंत्र आकलन करती है। दूसरे शब्दों में, चयन समिति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में दी गई ग्रेडिंग को अनिवार्य रूप से स्वीकार करे, क्योंकि ऐसा

करना मात्र औपचारिकता निभाने के समान होगा और संपूर्ण प्रक्रिया एक दिखावा बनकर रह जाएगी। किसी विशेष वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में दर्ज ग्रेडिंग, सभी प्रासंगिक सामग्री के आधार पर, चयन समिति द्वारा उस प्रविष्टि के संबंध में निर्धारित ग्रेडिंग से भिन्न हो सकती है।

14. संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) के विद्वान अधिवक्ता ने, सी.ए.टी. के समक्ष यू.पी.एस.सी. द्वारा दायर हलफनामे की सामग्री की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए, यह प्रस्तुत किया कि चयन समिति वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में दर्ज समग्र ग्रेडिंग का भी परीक्षण करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह विभिन्न विशिष्ट मानकों अथवा गुणों के अंतर्गत दी गई ग्रेडिंग/टिप्पणियों से असंगत न हो। न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया कि चयन समिति संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा संबंधी आदेशों को भी ध्यान में रखती है तथा दंडादेश अथवा अधिकारियों को विधिवत संप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों को भी, जो उनके अभ्यावेदन पर विचार के पश्चात भी निरस्त नहीं की गई हों, ध्यान में रखती है। उपर्युक्त मानदंड अखिल भारतीय सेवाओं में अभिग्रहण (इंडक्शन) के मामलों में सभी राज्यों/कैडरों पर समान रूप से लागू होते हैं।

15. चयन समिति क्षेत्र के विशेषज्ञों से गठित होती है। इसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की जाती है तथा इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी सम्मिलित होते हैं जिन्हें इस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। हमारे विचार में, जब कोई उच्च स्तरीय समिति अथवा विशेषज्ञ निकाय प्रत्येक अभ्यर्थी की योग्यता पर विचार कर, उसकी ग्रेडिंग का आकलन कर तथा पदोन्नति हेतु उसके मामले का परीक्षण कर चुका हो, तब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी.ए.टी.) एवं उच्च न्यायालय के लिए यह उपयुक्त नहीं है कि वे चयन समिति द्वारा किए गए आकलन पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पुनर्विचार करें। प्रासंगिक अभिलेखों के आलोक में श्रेणियों का आकलन किस प्रकार किया जाना है तथा आकलन करते समय कौन-से मानदंड लागू होंगे, यह प्रश्न विशेष रूप से चयन समिति द्वारा ही निर्धारित किया जाना है। चूँकि विधि के अनुसार चयन करने का अधिकार चयन समिति को ही निहित है और उसके सदस्य इस विषय में विशेषज्ञता रखते हैं, अतः सामान्यतः न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सिवाय उन स्थितियों के जहाँ आकलन की प्रक्रिया पक्षपात, दुर्भावना अथवा मनमानी से दूषित हो। न्यायालय का यह कार्य नहीं है कि वह चयन समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपील के रूप में मामलों की सुनवाई करे अथवा अभ्यर्थियों की

तुलनात्मक योग्यता का परीक्षण करे। किसी अभ्यर्थी की किसी पद के लिए उपयुक्तता का निर्णय विधिवत गठित विशेषज्ञ निकाय, अर्थात् चयन समिति, द्वारा ही किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की परिधि अत्यंत सीमित होती है।

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विशेषज्ञ निकाय की राय प्रत्येक परिस्थिति में स्वीकार्य हो, यह आवश्यक नहीं है, और इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि विशेषज्ञ निकाय की राय सभी परिस्थितियों में न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन नहीं है। हमारे संवैधानिक ढाँचे में चयन समिति/नियुक्ति बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं पूर्णतः निरपेक्ष नहीं माना जा सकता। अन्यथा ऐसा दृष्टिकोण अत्यंत गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है, और हमें लॉर्ड एक्टन के प्रसिद्ध शब्दों को स्मरण रखना चाहिए—"शक्ति भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है, और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है।" ऐसे मामलों का निर्णय करते समय इस सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है। तथापि, वर्तमान प्रकरण में संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा दायर हलफनामे से यह स्पष्ट है कि चयन समिति, जो एक विशेषज्ञ निकाय है, ने पात्र अभ्यर्थियों के चयन से पूर्व उनके अनुभव, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों तथा अन्य प्रासंगिक कारकों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं मूल्यांकन किया। चयन समिति ने वास्तव में प्रत्येक अभ्यर्थी के गुण-दोषों का आवश्यक कारकों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण किया तथा अपनी संस्तुतियाँ यू.पी.एस.सी. को प्रेषित कीं। यह स्थापित विधिक स्थिति है कि न्यायालयों को क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्यों से युक्त विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के प्रति सम्मान एवं उचित महत्व देना चाहिए, जब तक कि समिति के निर्णय में दुर्भावना या मनमानी परिलक्षित न हो। प्रशासनिक विधि में विकसित निष्पक्षता का सिद्धांत, न्यायाधिकरणों एवं न्यायालयों को विशेषज्ञों के निर्णयों पर अपीलीय प्राधिकारी में परिवर्तित करने के लिए नहीं है। रिट क्षेत्राधिकार की स्व-लगाई गई सीमाएँ अब भी विद्यमान हैं; उन्हें अनदेखा करने से भ्रम एवं अनिश्चितता उत्पन्न होगी और यह क्षेत्राधिकार दिशाहीन हो सकता है।

16. निस्संदेह, चयन समिति राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए वर्गीकरण से मार्गदर्शित हो सकती है, किन्तु उचित कारणों से वह अपना स्वतंत्र वर्गीकरण विकसित कर सकती है, जो वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में दी गई ग्रेडिंग से भिन्न हो सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने **यू.पी.एस.सी. बनाम के. राजैया एवं अन्य (2005) 10 एस.सी.सी. 15** में अभिलक्षित किया है, "उत्कृष्ट", "अत्यंत उत्तम", "उत्तम" एवं "अयोग्य" के रूप में वर्गीकरण करने की शक्ति चयन समिति में निहित है। यह चयन प्रक्रिया का एक अनुषंगी कार्य है।

वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिया गया वर्गीकरण चयन समिति पर बाध्यकारी नहीं है। ऐसा वर्गीकरण चयन समिति के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है और उसके लिए कारण अंकित करना आवश्यक नहीं है, यद्यपि यह वांछनीय है कि यदि राज्य सरकार द्वारा दी गई ग्रेडिंग से भिन्न वर्गीकरण किया जाए, तो कारण दर्ज किए जाएँ। तथापि, विनियम 5(4) के अधीन चयन समिति को प्रदत्त अधिकारों एवं उसके कार्य के स्वरूप को देखते हुए, राज्य सरकार के निर्णय से भिन्न वर्गीकरण करते समय कारण दर्ज करना विधिक अनिवार्यता नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रथम उत्तरदाता द्वारा चयन समिति या यू.पी.एस.सी. के विरुद्ध दुर्भावना या पक्षपात का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिलक्षित एवं निष्कर्षित किया है कि चयन समिति की संस्तुतियों को केवल दुर्भावना या वैधानिक नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय चयन समिति की संस्तुतियों का परीक्षण करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी अथवा निर्णायक की भाँति नहीं बैठ सकता। यह विवेकाधिकार केवल चयन समिति को ही प्रदान किया गया है, और न्यायालय विरले ही अपीलीय न्यायालय के रूप में बैठकर किसी अभ्यर्थी के चयन की समीक्षा करता है; न ही न्यायालय का यह कार्य है कि वह प्रत्येक अभ्यर्थी का परीक्षण कर अपना मत अभिलेखित करे। चूँकि यू.पी.एस.सी. द्वारा गठित चयन समिति विशेषज्ञों से युक्त होती है, अतः उसके आकलन पर विश्वास किया जाना चाहिए, जब तक कि वह दुर्भावना, कुटिलता या मनमानी से प्रेरित न हो।

17. **भारत संघ बनाम ए.के. नरूला, (2007) 11 एस.सी.सी. 10** के मामले में, इस न्यायालय ने समान परिस्थितियों में यह अभिलक्षित किया :—

> "**15.** दिशा-निर्देश डी.पी.सी. को कुछ हद तक लचीलापन प्रदान करते हैं, यह उपबंधित करके कि वह सी.आर. में दर्ज समग्र ग्रेडिंग से बाध्य नहीं होगा, बल्कि सी.आर. में निहित प्रविष्टियों के आधार पर अपना स्वतंत्र आकलन कर सकता है। डी.पी.सी. को प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रदर्शन का पृथक रूप से समग्र मूल्यांकन करना होता है, किन्तु समान मानकों, कसौटियों और मापदंडों को अपनाते हुए। केवल तब, जब आकलन की प्रक्रिया पक्षपात, दुर्भावना या मनमानी से दूषित हो, चयन में हस्तक्षेप का प्रश्न उत्पन्न होता है। जहाँ डी.पी.सी. ने निष्पक्ष, तटस्थ एवं युक्तिसंगत ढंग से, सभी अभ्यर्थियों पर समान कसौटियाँ एवं मानदंड लागू करते हुए कार्य किया

है और आकलन की प्रक्रिया में कोई मनमानी नहीं है, वहाँ न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा (देखें: *एस.बी.आई. बनाम मोहम्मद मय्युद्दीन* [(1987) 4 एस.सी.सी. 486 : 1987 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 464 : (1987) 5 ए.टी.सी. 591], *यू.पी.एस.सी. बनाम हीरान्यलाल देव* [(1988) 2 एस.सी.सी. 242 : 1988 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 484 : (1988) 7 ए.टी.सी. 72] तथा *बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार* [(2000) 8 एस.सी.सी. 395 : 2001 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 13])। पुनरीक्षण डी.पी.सी. ने मामले पर पुनर्विचार किया और यह बताते हुए विस्तृत कारण दिए कि उत्तरदाता का मामला आर.एस. विर्क के मामले के समान क्यों नहीं था। इन परिस्थितियों में, यदि पुनरीक्षण डी.पी.सी. ने 1-4-1987 से 31-3-1988 की अवधि के लिए उत्तरदाता की ग्रेडिंग "उत्तम" से "अत्यंत उत्तम" में परिवर्तित न करने का निर्णय लिया और उसकी समग्र ग्रेडिंग "उत्तम" ही रहने दी, तो उसे "उत्तम" श्रेणी वाले अधिकारियों के समूह से "अत्यंत उत्तम" श्रेणी वाले अधिकारियों के समूह में स्थानांतरित कर 13-6-1990 की डी.पी.सी. के संदर्भ में पदोन्नत करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। डी.पी.सी. के विरुद्ध दुर्भावना या पक्षपात का कोई आरोप न होने तथा आकलन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की मनमानी के अभाव में, उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता को ग्रेड उन्नयन का लाभ देने का निर्देश देना उचित नहीं था, जैसा कि आर.एस. विर्क के मामले में किया गया था।"**

18. एम.वी. थिम्मैया बनाम यू.पी.एस.सी., (2008) 2 एस.सी.सी. 119 के मामले में, इस न्यायालय ने विषय से संबंधित विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के पश्चात यह अभिलक्षित किया :—

"30. हम यह समझने में असमर्थ हैं कि अधिकरण किस प्रकार अपीलीय प्राधिकारी के रूप में बैठकर व्यक्तिगत अभिलेखों को तलब कर सकता है और इस उद्देश्य हेतु चयन समिति का गठन कर सकता है। यह शक्ति अधिकरण को प्रदान नहीं की गई है, और यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि चयन समिति का आकलन न तो अधिकरण के समक्ष और न ही न्यायालयों द्वारा अपील के अधीन है। चयन समिति द्वारा किए गए आकलन का सम्मान किया जाना चाहिए और वह अपील के अधीन नहीं है। अभ्यर्थियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, किसी एक को "अत्यंत उत्तम" तथा दूसरे को "उत्तम" माना जा सकता है। यदि इस प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार किया जाए, तो इसका अर्थ यह होगा कि

अधिकरण एवं उच्च न्यायालय स्वयं चयन समिति के रूप में कार्य करने लगे हैं या चयन के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के रूप में बैठ रहे हैं। यह उनका क्षेत्राधिकार नहीं है—यह बात इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की जा चुकी है। ......"

19. वर्तमान प्रकरण में हम पाते हैं कि न तो निर्णय और न ही निर्णय-निर्माण प्रक्रिया किसी दुर्भावना से प्रेरित थी, और चयन समिति द्वारा ऐसी कोई गंभीर त्रुटि नहीं की गई जिससे मनमानी सिद्ध हो। यह कोई मनमाना चयन नहीं है, बल्कि चयन युक्तिसंगत ढंग से किया गया है। आवेदक-उत्तरदाता संख्या 1 पर चयन समिति द्वारा विधिवत विचार किया गया। तथापि, उसके सेवा अभिलेखों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर, चयन सूची के आकार पर वैधानिक सीमा तथा विनियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार उच्च ग्रेडिंग वाले अधिकारियों की उपलब्धता के कारण, उसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया।

20. जहाँ तक उत्तरदाता संख्या 6—श्रीमती वी. जयश्री—का संबंध है, प्रारंभ में उनके विरुद्ध कुछ विभागीय कार्यवाहियाँ लंबित थीं। यद्यपि विभागीय कार्यवाहियाँ लंबित थीं, तथापि श्रीमती वी. जयश्री, जो यहाँ उत्तरदाता संख्या 6 हैं, के सेवा अभिलेखों के समग्र तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर, उन्हें चयन सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया, जो विभागीय कार्यवाहियों में स्वच्छता प्रमाणन के अधीन था। चूँकि राज्य सरकार ने उक्त अधिकारी की सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी थी और विभागीय कार्यवाहियाँ प्रतिकूल निष्कर्ष के बिना समाप्त हो गई थीं, अतः उनका नाम अंततः चयन सूची में सम्मिलित कर लिया गया। ऐसी प्रक्रिया चयन समिति द्वारा विनियम 5(5) के प्रथम उपबंध के अनुसार अपनाई गई, जो इस प्रकार है :—

> "यह उपबंधित किया जाता है कि सूची में इस प्रकार सम्मिलित किसी अधिकारी का नाम अस्थायी माना जाएगा, यदि राज्य सरकार ऐसे अधिकारी के संबंध में सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र रोक लेती है या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही, चाहे विभागीय हो या आपराधिक, लंबित हो अथवा उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो, और जो राज्य सरकार के संज्ञान में आया हो।"

विनियम 5(5) का उपबंध विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय/आपराधिक कार्यवाहियाँ लंबित हों, उन्हें चयन सूची में सम्मिलित किया जा सकता है, किन्तु उनका सम्मिलन विभागीय/आपराधिक कार्यवाहियों के निष्कर्ष के

अधीन अस्थायी रहेगा। तथापि, उनकी आई.पी.एस. में नियुक्ति तभी की जा सकती है जब चयन सूची में उनके नाम को बिना शर्त (अनकंडीशनल) कर दिया जाए, जो विनियम 7(4) के द्वितीय उपबंध के अनुसार किया जाता है, जो इस प्रकार है :—

> "7(4) चयन सूची उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगी, जिसमें चयन समिति की बैठक हुई हो, ताकि उप-विनियम (1) के अधीन या विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत सूची तैयार की जा सके, अथवा आयोग द्वारा उप-विनियम (1) के अधीन अनुमोदन की तिथि से साठ दिन तक, जैसा भी मामला हो, और उप-विनियम (2) के अधीन अंतिम अनुमोदन तक, जो भी बाद में हो।
>
> xxx xxx xxx
>
> परंतु यह कि जहाँ राज्य सरकार ने चयन सूची की अवधि के दौरान किसी अस्थायी रूप से सम्मिलित अधिकारी को "बिना शर्त" घोषित किए जाने हेतु आयोग को प्रस्ताव प्रेषित किया हो, वहाँ आयोग इस विषय पर पैंतालीस दिनों के भीतर या अगली चयन समिति की बैठक की तिथि से पूर्व, जो भी पहले हो, निर्णय करेगा; और यदि आयोग ऐसे अस्थायी रूप से सम्मिलित अधिकारी के चयन सूची में सम्मिलन को बिना शर्त एवं अंतिम घोषित कर देता है, तो संबंधित अधिकारी की नियुक्ति पर केंद्र सरकार द्वारा विनियम 9 के अधीन विचार किया जाएगा, और ऐसी नियुक्ति केवल इस आधार पर अवैध नहीं मानी जाएगी कि वह चयन सूची के प्रभाव समाप्त होने के पश्चात की गई है।"**

21. चूँकि यहाँ उत्तरदाता संख्या 6 श्रीमती वी. जयश्री का नाम चयन सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया था और विभागीय कार्यवाही में उनके निर्दोष सिद्ध होने के पश्चात उसे बिना शर्त कर दिया गया, अतः उन्हें वर्ष 2008 बैच में नियुक्त किया गया।

22. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री को ध्यान में रखते हुए, हम अधिकरण तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए दिए गए कारणों से सहमत होने का कोई आधार नहीं पाते हैं। उच्च न्यायालय ने आश्चर्यजनक रूप से प्रथम उत्तरदाता के पक्ष में एक नया अतिरिक्त बिंदु यह कहते हुए स्थापित किया कि चयन समिति द्वारा संधारित अभिलेखों के अवलोकन पर उसे राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों दूसरे शब्दों में, उच्च

न्यायालय का यह मत था कि चूँकि चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों में राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को दी गई ग्रेडिंग सम्मिलित नहीं थी, इसलिए चयन समिति को अपने निष्कर्ष पर पहुँचते समय राज्य सरकार द्वारा दी गई ग्रेडिंग पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। हम उक्त अवलोकनों से सहमत नहीं हैं। अधिकरण ने इस मामले का निर्णय करते समय राज्य सरकार द्वारा दी गई ग्रेडिंग सहित सभी अभिलेखों पर विचार किया, जिससे यह स्पष्ट है कि ऐसे अभिलेख चयन समिति के समक्ष विचार के समय तथा अधिकरण द्वारा निर्णय के समय उपलब्ध थे। इस संदर्भ में, संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया कि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, राज्य सरकार द्वारा संधारित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ, जिनमें अधिकारियों को दी गई ग्रेडिंग सम्मिलित थी, राज्य सरकार को वापस भेज दी जाती हैं, क्योंकि वे अभिलेख राज्य सरकार के ही होते हैं; शेष अभिलेख यू.पी.एस.सी. के पास रहते हैं। जो अभिलेख यू.पी.एस.सी. के पास उपलब्ध थे, वे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। तथापि, राज्य सरकार द्वारा दर्ज की गई ग्रेडिंग से संबंधित अभिलेख उच्च न्यायालय राज्य सरकार से प्राप्त कर सकता था। राज्य सरकार से अभिलेख प्राप्त करने के स्थान पर, उच्च न्यायालय ने आश्चर्यजनक रूप से यह अभिलक्षित किया कि ऐसे अभिलेख चयन समिति के समक्ष उपलब्ध नहीं थे। यह स्वाभाविक है कि चयन प्रक्रिया समाप्त होने एवं नियुक्तियाँ किए जाने के पश्चात चयन समिति ऐसे अभिलेख राज्य सरकार को वापस भेज देती है।

23. उपर्युक्त के आलोक में, दिनांक 07.04.2010 के अधिकरण (सी.ए.टी.) के निर्णय तथा दिनांक 24.06.2013 के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाता है।

24. तदनुसार, वर्तमान दीवानी अपील स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकृत।

अंकित ज्ञान

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।